न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्रसिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 101/2018

बउनवान

सूरजसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति–राव राजपूत निवासी–नन्दगांवडी तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0)
1– सम्पत कॅवर बेवा सूरजसिंह
2– प्रकाश कॅवर पुत्री सूरजसिंह
3– राजेश कॅवर पुत्री सूरजसिंह
4– रघुराज कॅवर पुत्री सूरजसिंह
5– विरेन्द्र सिंह पुत्र सूरजसिंह
6– रूपेन्द्रसिंह पुत्र सूरजसिंह
जाति–राव राजपूत निवासी–नन्दगांवडी तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

(अपीलांट्स)

बनाम

लालचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति–मेहर निवासी–ईश्वरपुरा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा, 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2018

उपस्थिति :–1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक **(अपीलांट्स)**
2. श्री ओमप्रकाश मेहता, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 27.06.2019

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा धारा–183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नन्दगांवडी की भूमि ख0नं0 81 रकबा 2.18 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल कर प्रार्थी खातेदार लालचन्द मेहर को उक्त भूमि पर कब्जा संम्भलाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों एवं दस्तावेजात् का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अपीलांट ने अप्रार्थी की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। अपीलांट अपने कब्जे काश्त की भूमि पर मौके पर काबिज है। उक्त आराजी सम्वत् 2033–36 से पूर्व की जमाबन्दी में अपीलांट सूरजसिंह के खाते दर्ज थी एवं जमाबन्दी सम्वत् 2037–40 से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 42 व 43 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा जो वर्तमान में खसरा नम्बर 81 रकबा 2.18 है0 है जो अपीलांट के पिता सूरजसिंह के खाते में इन्द्राज थी। इस आराजियात् को सेटलमेंट कर्मचारियों ने जानबूझ पर रेस्पों0 से मिलीभगत करते हुये रेस्पों0 के खाते दर्ज कर दी है। अपीलांट सूरजसिंह द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा– 88, 89, 90, 91, 183 आरटीए पेश

किया जिसमें दिनांक 28.02.1994 को अपीलांट के पक्ष में डिक्री व निर्णय पारित हुआ जिसकी इजराय करने पर दिनांक 15.06.1995 को रेकार्ड दुरूस्त करते हुये अपीलांट को दखल व कब्जा सम्भलाने के आदेश हुये। तब से अपीलांट 60 वर्ष से अधिक समय से मौके पर पीढी दर पीढ़ी काबिज काश्त है।

2— उक्त प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में निर्णित वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल में जेरकार है तथा धारा 144 सीपीसी में पारित आदेश दिनांक 29.04.2004 के विरूद्व सिविल रिट पिटीशन 20056/18 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है, जिसमें हीं विवादित आराजी की खातेदारी के संबंध में कोई सार्थक निर्णय पारित किया जा सकता है। रेस्पों0 द्वारा पूर्व में भी अपीलांट के विरूद्व धारा, 183(बी) की कार्यवाहीं पेश की गयी थी जो तहसीलदार मॉगरोल ने दिनांक 15.12. 2003 को निरस्त कर दी गयी है। रेस्पों0 के प्रार्थनापत्र दिनांक 31.07.2018 पर की गयी धारा, 183(बी) की कार्यवाहीं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से, काबिज खारिज योग्य है। उक्त आराजियात् अपीलांट की पैत्रिक सम्पत्ति है जिसपर रेस्पों0 अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का फायदा उठाते हुये विचाराधीन वादों में अंतिम निर्णय होने से पूर्व हीं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट ने अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.11.2018 को निरस्त किया जावे तथा रेस्पों0 को पाबन्द किया जावे कि अपीलांट को उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नन्दगावडी की आराजी ख0नं0 81 रकबा 2.18 के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करे।

3— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पों0 के उपस्थित आने एवं अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पों0 की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा रेस्पों0 के प्रार्थनापत्र दिनांक 31.07.2018 पर अपीलांट के विरूद्व धारा, 183(बी) के तहत बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी ख0नं0 81 रकबा 2.18 है0 ग्राम नन्दगांवडी जिसके सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 42 व 43 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा थे। सम्वत् 2033—36 में अपीलांट के पिता सूरजसिंह के खाते दर्ज है, इससे पूर्व सम्वत् 2017—20 में पूर्वज उम्मेदसिंह जी खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी पीढी दर पीढी अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रहीं है। सम्वत् 2044 के बाद सेटलमेंट की गलती की वजह से उक्त आराजी पर रेस्पों0 का नाम बतोर कृषक दर्ज किया गया। उक्त आराजी रेस्पों0 को ना तो आवंटित हुयी है ना हीं नियमन हुआ है। सरकार की गलती की वजह से किस प्रकार उसका नाम दर्ज किया गया है, इस संबंध में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। रेस्पों0 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट हीं उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पों0 उक्त आराजी उसके खातेदारी में दर्ज होने का

फायदा उठाकर अपीलांट को धारा, 183(बी) के तहत बेदखल कराने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है।

5— इस विवादित आराजी के बाबत पूर्व में अपीलांट के पिता सूरजसिंह ने उपखण्ड अधिकारी,बारां के यहॉ दावा धारा, 88,89, 91, 183 आरटीए का पेश किया था जो अपीलांट के पक्ष में दिनांक 28.02.1994 को दावा डिक्री हुआ जिसकी इजराय की पालना में अपीलांट को दखल व कब्जा सम्भलाया गया। विवादित आराजी के संबंध में धारा, 144 सीपीसी की कार्यवाहीं हुई, जिसमे निर्णय रेस्पों0 के पक्ष में होने से अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर में रिट पिटिशन दायर कर रखी है जो दर्ज हो चुकी है तथा स्थगन मिलने की पूर्ण संभावना है। चूकि विवादित आराजी के संबंध में वर्तमान में रिट माननीय उच्च न्यायालय में जेरकार है तथा वर्तमान में उपखण्ड न्यायालय मॉगरोल में नियमित वाद जेरकार है तो धारा, 183(बी) की कार्यवाहीं नहीं की जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड का कोई परीक्षण नहीं किया कि उक्त आराजी रेस्पोंडेंट के किस प्रकार दर्ज की गयी है। रेस्पों0 के उक्त आराजी ना तो आवंटन हुई है ना हीं खरीद की गयी है। बतोर कृषक विवादित आराजी रेस्पों0 के किस प्रकार दर्ज हुई है, जॉच कर हीं आदेश पारित करना चाहिये था। चूकि विवादित आराजी पूर्वजो के समय से अपीलांट्स काबिज काश्त है तथा नियमित वाद व रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर है तो तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.11.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा कब्जे काश्त में कोई मदाखलत नहीं करने हेतु रेस्पों0 को पाबन्द फरमाया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान रेस्पोंडेट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पोडेंट विवादित आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 2.18 हैक्टर का खातेदार कृषक है तथा अनुसूचित जाति कस सदस्य है जिसकी भूमि पर अपीलांट ने जबरन कब्जा कर रखा है। इस बाबत अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष अतिक्रमी को बेदखल करने का प्रार्थनापत्र पेश करने पर, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी खातेदार कृषक होने से, अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपीलांट रेस्पों0 की भूमि को अपनी ताकत के बल पर हडपना चाहता है।

7— साथ हीं कथन किया कि अपीलांट के पिता सूरजसिंह जी ने रेस्पों0 के विरूद्व एकपक्षीय दावा डिक्री कराया था। जिसे सहायक कलक्टर, बारां ने आदेश—7 नियम—13 व धारा, 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर, दिनांक 12.01.1999 को एकतरफा डिक्री खारिज कर दिया है जिसकी निगरानी अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में की, जो भी दिनांक 09.07.2003 को खारिज की गयी। इसके अलावा रेस्पों0 ने उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल के यहॉ दावा किया जिसमें प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जिसकी अपील अपीलांट के पिता सूरजसिंह ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में करने पर, उक्त अपील निर्णय दिनांक 09.03.2005 को खारिज हुई। इस निर्णय की

अपील राजस्व मण्डल राज. अजमेर में करने पर, माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.06.2018 से अपीलांट की अपील खारिज की जा चुकी है। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि उसके द्वारा वर्तमान में धारा, 144 सीपीसी व राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश के विरूद्व रिट दायर कर रखी है, इस आधार पर जब तक कि उच्च न्यायालय का स्थगन नहीं हो धारा, 183(बी) आरटीए की कार्यवाहीं नहीं रोकी जा सकती। अपीलांट खातेदार कृषक है। अनुसूचित जाति का सदस्य है। इसलिये उसे अपने अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल को निर्देश प्रदान किये जावे कि विवादित आराजी पर अपीलांट को निर्णय दिनांक 22.11.2018 की पालना में तत्काल कब्जा सम्भलाया जावे।

8— तरदीदी बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक ने रेस्पों0 के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी अपीलांट के सम्वत् 2017—20 से पूर्व से पूर्वजों के खातेदारी में चली आ रहीं है। रेस्पों0 को उक्त आराजी ना तो आवंटन हुया ना नियमन हुयी। ना हीं रेस्पों0 ने भूमि क्रय की। रेस्पों0 ना तो ग्राम नन्दगावंडी का रहने वाला है ना हीं आवंटन/नियमन की पात्रता रखता है। इसी प्रकार रेस्पों0 उक्त आराजी पर कभी काबिज काश्त भी नहीं रहा है। रेस्पों0 ने अपील में यह सिद्व नहीं किया है कि उक्त आराजी उनके किस आधार पर खाते दर्ज हुई है। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी रेस्पों. के दर्ज करने में मुख्य त्रुटि सेटलमेट की रहीं है। सेटलमेट टीम से रेस्पो0 का नाम बतोर उपकृषक दर्ज किया गया था। जबकि रेस्पो0 ने उक्त आराजी कभी काश्त हीं नहीं की है। अपीलांट उक्त आराजी पर पीढी दर पीढी काबिज काश्त है तथा पूर्व खातेदार है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

9— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स व रेस्पोंडेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम नन्दगावंडी तहसील—मॉगरोल खसरा नम्बर 81 रकबा 2.18 है0 वर्तमान में रेस्पोडेंट के खातेदारी में दर्ज है। जो साबिक खसरा नम्बर 42 व 43 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा से मिलकर बने है। रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दिनांक 31.07.2018 को अपीलांट के विरूद्व बेदखली का प्रार्थनापत्र पेश किया है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी के विरूद्व धारा, 183(बी) आरटीएक्ट के तहत बेदखली के आदेश पारित किये है जिसके विरूद्व अपीलांट ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलांट अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि विवादित आराजी सम्वत् 2017—20 से पीढ़ी दर पीढ़ी अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रहीं है। विवादित आराजी रेस्पों0 को गलत बतोर कृषक दर्ज की गयी है तथा विवादित आराजी के संबंध में वर्तमान में रिट माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में लंबित है, जिसके चलते तहसीलदार, मॉगरोल को धारा,183(बी) के तहत कार्यवाहीं एवं बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि रेस्पों0 विवादित आराजी का खातेदार कृषक है जिसपर अपीलांट ने नाजायज कब्जा कर रखा है। माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर करने से धारा, 183(बी) की बेदखली की कार्यवाहीं नहीं रोकी जा सकती।

10— उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम नन्दगांवडी तहसील—मॉगरोल ख0नं0 81 रकबा 2.18 है0 जो सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 42 व 43 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा थे जो सम्वत् 2017—20 की जमाबन्दी में उम्मेदसिंह वल्द किशोरसिंह जाति राव राजपूत सा.देह के खातेदारी में दर्ज है तथा सम्वत् 2033—36 में अपीलांट के पिता सूरजसिंह के खातेदारी में दर्ज है जो वर्तमान में भी काबिज काश्त है। रेस्पोंडेट ने भी इसे स्वीकार किया है तथा इसी आधार पर धारा, 183(बी) आरटीए का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर, प्रार्थी खातेदार होने के आधार पर रेस्पों0 के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित किये गये है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व यह परीक्षण व विवेचन नहीं किया कि उक्त आराजी रेस्पोंडेट के खातेदारी में किस प्रकार दर्ज हुई है। चूकि यह विदित है कि सम्वत् 2033—36 की जमाबन्दी में अपीलांट के पिता सूरजसिंह का नाम दर्ज है, सम्वत् 2044 के पश्चात् उक्त आराजी रेस्पोडेंट के किस प्रकार खाते दर्ज हुयी है। रेस्पो0 ने भी बहस के दौरान स्वीकार किया है कि उक्त आराजी उसे आवंटन/नियमन नहीं हुई है। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट लालचन्द को बतोर उपकृषक दर्ज हुई है, जबकि रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं माना गया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट लालचन्द के उक्त आराजी खातेदारी में किस प्रकार दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत ना तो कोई परीक्षण किया है ना हीं अपने निर्णय में कोई विस्तृत विवेचना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश पारित करने में विधिक कानूनी भूल की है।

11— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार, मॉगरोल के इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में जॉच की जावें कि जब उक्त आराजी सम्वत् 2017—20 से पीढी दर पीढ़ी अपीलांट के खातेदारी में दर्ज है तो उक्त आराजी रेस्पोडेंट लालचन्द पुत्र जगन्नाथ मेहर नि. ईश्वरपुरा तह. मॉगरोल के किस प्रकार बतोर कृषक या खातेदार दर्ज हुई है। इस बाबत विस्तृत परीक्षण व जॉच कर, पक्षकारान् की पुनः विधिवत सुनवाई कर, पुनः आदेश पारित किये जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दिनांक 05.07.2019 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.06 11:01:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: